

क्रमांक:- 1030/Slut.

दिनांक:- 21/8/26

प्रेषक:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
डीडवाना।

प्रेषित:- श्रीमान रजिस्ट्रार वर्गीकरण-II,
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर।

विषय:- राष्ट्रीय कार्य योजना के छठे चरण के अन्तर्गत लक्षित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध
में कार्य योजना।

प्रसंग:- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का पत्रांक GEN/XV/55/2024/1868
दिनांक 14.08.2026.

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक GEN/XV/55/2024/1807 & 1809 दिनांक 11.08.2026 व उक्त संदर्भित पत्रांक की अनुपालना में राष्ट्रीय कार्य योजना के छठे चरण के अन्तर्गत लक्षित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा District case Management Committee की बैठक का आयोजन दिनांक 19-08-2026 को किया गया है। कमेटी के सदस्यों से लक्षित प्रकरणों के अधिकाधिक व त्वरित निस्तारण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इसी क्रम में दिनांक 21.08.2026 को डीडवाना न्यायक्षेत्र के सभी पीठासीन अधिकारियों के साथ जरिये वी.सी. बैठक का आयोजन किया गया तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त संदर्भित पत्रांक में निर्देशों की निरन्तरता में निम्न निर्देश दिए गए हैं:-

01. लक्षित प्रकरणों की सूची सी.आई.एस. से तैयार कर उसका भौतिक सत्यापन किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि प्रकरण की वास्तविक दर्ज दिनांक व केस केटेगरी सी.आई.एस. में सही दर्ज हों।
02. सभी लक्षित प्रकरणों की आदेशिकायें पीठासीन अधिकारी स्वयं लिखें। पत्रावलियों में अमल में लायी गयी कार्यवाही एवं आदेशिका में समानता सुनिश्चित की जावे।
03. प्रतिदिन लक्षित प्रकरणों की दैनिक कार्यवाही का इन्द्राज सी.आई.एस. में पूर्णरूप से शुद्धता के साथ करवाना सुनिश्चित किया जावे, इस प्रयोजनार्थ आप अपने कार्यालय के वरिष्ठ कर्मचारी को लिखित रूप से आदेशित कर आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।
04. न्यायालय में लम्बित 20 वर्ष पुराने समस्त प्रकरणों का विधिनुसार दिनांक 31.12.2026 तक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
05. लक्षित प्रकरणों की एक सत्यापित सूची हितधारकों की सम्यक सूचना एवं प्रभावी पैरवी हेतु स्थानीय बार संघ को उपलब्ध करवायें।
06. लक्षित प्रकरणों की एक सूची न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे।
07. सभी न्यायालयों से लक्षित प्रकरणों की सूचियां प्राप्त होने पर सिस्टम ऑफिसर जिला एवं सेशन न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
08. लक्षित प्रकरणों में अनावश्यक एवं लगातार स्थगन नहीं दिया जावे। प्रकरण की आवश्यकतानुसार सम्यक् स्थगन दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
09. उभयपक्ष के हित एवं अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित दशाओं में न्यायिक विवेक के अनुसार Adjournment cost भी आरोपित किया जाना सुनिश्चित करें।
10. लक्षित प्रकरणों को सूचीबद्ध करने तथा उनके आगामी पेशी नियत करने के लिए 04/पी.आई./2024 में दिए निर्देशों की पालना की जावे।

11. ऐसे प्रकरण जिनमें विधि के किसी निर्देश के अनुसार पक्षकारों की पहचान/अन्यथा छिपाया जाना आवश्यक हो, को छोड़ते हुए शेष सभी लक्षित प्रकरणों की आदेशिकाएं एवं पारित आदेश/निर्णय सी.आई.एस. पर आवश्यक रूप से अपलोड किया जावें।
 12. लक्षित प्रकरणों के निस्तारण में किसी प्रकार सहायता/मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर इस कार्यालय के District case Management Committee से दूरभाष द्वारा सम्पर्क किया जावें।
 13. District case Management Committee के सदस्य आपसी समन्वय करते हुए डीडवाना न्यायक्षेत्र में पदस्थापित सभी अधिकारियों से जरिये वी.सी./दूरभाष द्वारा निरन्तर सम्पर्क करते हुए लक्षित प्रकरणों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायेंगे तथा प्रगति रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे।
 14. उपर्युक्त निर्देशों की पालना नहीं करने की स्थिति में जिला केस प्रबंधन समिति समुचित प्रभावी कदम उठायेगी और आवश्यक होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के संज्ञान में लायेगी।
- लक्षित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्य योजना (Phase-VI) से संबंधित प्रपत्र 01 से 06 की सूचना श्रीमान जी को इस कार्यालय के पत्रांक 1010 दिनांक 19.08.2026 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय,

21.08.26

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
डीडवाना।